पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन संबंधी
पार्बती-II पावर स्टेशन की अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर 2025 से मार्च 2026)

1	परियोजना का नाम	पार्बती-II पावर स्टेशन (800 मेगावाट)
2	परियोजना का प्रकार	जलविद्युत् परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति	सं. जे-12011/34/2001-आईए-I, दिनांक 04.06.2001
	ख) वन संबंधी स्वीकृति	i) 8-77/96 -एफसी, दिनांक 04.09.2001 ii) 8-77/96- एफसी, दिनांक 17.03.2004
4	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 कुल्लू हिमाचल प्रदेश 31^0 40′ उ0 से 32^0 15′ उ0 77^0 08′ पू0 से 77^0 50′ पू0
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित)	महाप्रबंधक (प्रभारी) परियोजना प्रमुख पार्बती-II पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, नगवाईं, जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश-175121 टेलीफोन नं: 01905-287771 फैक्स नं.: 01905-287772
	ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	कार्यपालक निदेशक, (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग), एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 टेलीफोन/फैक्स नं. 0129-2250111
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)	कुल भूमि का विवरण: 222.3700 हेक्टेयर (क) जलमग्न क्षेत्र : i) वन भूमि : 12.4776 हैक्टेयर ii) गैर-वन भूमि : 05.3132 हैक्टेयर

<table>
<tr><td></td><td>ख) अन्य</td><td>(ख) अन्य
i) वन भूमि : 133.1431 हैक्टेयर
ii) गैर-वन भूमि : 71.4361 हैक्टेयर</td></tr>
<tr><td>8</td><td>परियोजना प्रभावित आबादी में जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/ दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित परिवारों का विवरण

क)अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी
ख) अन्य</td><td>परियोजना से प्रभावित कुल परिवार : 947
<table>
<tr><th>पी ए एफ - प्रकार</th><th>अनु.जा</th><th>अनु.ज.ज</th><th>अन्य</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>पूर्ण प्रभावित</td><td>123</td><td>02</td><td>314</td><td>439</td></tr>
<tr><td>आंशिक प्रभावित</td><td>117</td><td>0</td><td>391</td><td>508</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>240</td><td>02</td><td>705</td><td>947</td></tr>
</table>
(क) अनु.जा -240, अनु.ज.ज - 02
(ख)अन्य - 705</td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्योरा:
(क) परियोजना की मूल लागत और उसके पश्चात संशोधित अनुमानित लागत और इस कीमत का संदर्भ वर्ष</td><td>क) ₹ 3919.59 करोड़ (दिसम्बर '2001 मूल्य स्तर)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) अब तक इस परियोजना पर वास्तविक व्यय ।</td><td>ख) ₹ 13014.38 करोड़ (लगभग) मार्च 2026 तक</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए आवंटित राशि</td><td>(ग) ₹ 105.74 करोड़ (अनुलग्नक–I के अनुसार)</td></tr>
<tr><td></td><td>(घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक किया गया वास्तविक व्यय ।</td><td>(घ) ₹ 88.00 करोड़ रुपये (मार्च 2026 तक)
(अनुलग्नक–I के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं
(क) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए अपवर्तन हेतु अनुमोदन की स्थिति

ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</td><td>(i) प्रारंभ में, 87.795 हेक्टेयर वनभूमि के अपवर्तन के प्रस्ताव को एमओईएफ द्वारा पत्र दिनांक 04.09.2001 द्वारा अनुमोदित किया गया था।
(ii) 145.6207 हेक्टेयर (87.795 हेक्टेयर + 57.8257 हेक्टेयर) वन भूमि की समग्र आवश्यकता के अपवर्तन के लिए संशोधित प्रस्ताव एमओईएफ द्वारा दिनांक 17.03.2004 के पत्रों के माध्यम से दिया गया था।
(iii) पत्र दिनांक 30.04.2008 के द्वारा 0.354 हेक्टेयर के पथांतरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ख) 8124 पेड़ों की हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा कटाई की गई ।</td></tr>
</table>

11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/ अथवा नियोजित) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और /अथवा नियोजित)	(क) सितंबर 2002 (वास्तविक) (ख) परियोजना के 3 यूनिट (600 मेगावाट) का संचालन दिनांक 01.04.2025 से तथा चौथे यूनिट (200 मेगावाट) का संचालन दिनांक 16.04.2025 से आरंभ किया गया है। इस प्रकार परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि अप्रैल 2025 है।
12	विलम्ब के कारण यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है।	परियोजना पूर्णतः चालू हो गई है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	पर्यावरण निगरानी समिति की 20वीं बैठक का आयोजन 19 नवम्बर और 20 नवम्बर 2025 को परियोजना में किया गया । क्षेत्रिय कार्यालय (पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), शिमला के अधिकारियों द्वारा 19 नवम्बर एवं 20 नवम्बर 2025 को आयोजित पर्यावरण निगरानी समिति की बैठक के दौरान परियोजना का दौरा किया गया ।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न।

<u>अनुलग्नक-I</u>

पार्बती-II पावर स्टेशन की पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने हेतु बजट का आवंटन एवं खर्च का विवरण

(मार्च 2026 तक)

क्र.सं.	**प्रबंधन योजना**	**प्रावधान/ आवंटन (₹ लाख में)**	**खर्च हुई राशि (₹ लाख में)**
1	जैव-समृद्ध क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना	1741.40	1617.00
2	मत्स्य विकास	73.69	73.69
3	जलाशय परिधि के चारों ओर हरित पट्टी का निर्माण	20.00	21.05
4	निर्माण क्षेत्रों का जीर्णोद्धार व भूसुदर्शनीकरण	185.00	0.47
5	डम्पिंग क्षेत्रों का पुनरुद्धार	2190.64	803.10
6	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	2670.97	2669.26
7	पुनर्स्थापना व पुनर्वास की योजना	250.00	304.93
8	आपदा प्रबंधन योजना	296.00	367.86
9	प्रतिपूरक वनीकरण योजना	109.71	109.71
10	पेनल प्रतिपूरक वनीकरण की लागत	5.945	05.945
11	रियायत लागत	100.00	100.00
12	आर्थिक पुनर्वास योजना	131.69	106.56
13	सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली	444.60	52.66
14	हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भुगतान (पर्यावरण निगरानी योजना हेतु)	254.35	544.61
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई अतिरिक्त शर्तें			
15	लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण और निवास सुधार	2100.00	2000.00
16	वन उपज को विनियमित करने के लिए चेक पोस्ट	--------	23.48
	कुल राशि	**10574**	**8800.325**

अनुलग्नक-II **पर्यावरण स्वीकृति पत्र में विनिर्देशित शर्तों के अनुपालन की स्थिति (सितंबर 2025)**		
भाग-क विशिष्ट शर्तें		
क्र. सं.	**शर्तें**	**अनुपालन**
(क) विशेष शर्तें		
i	पुलगा बांध के ऊपरी प्रवाह व दाहिने किनारे पर विषम सामग्री से मिलकर बने हुए समूह के खंड मौजूद हैं। यह वांछनीय है कि नदी के ऊपर साइट का फेसियल ट्रीटमेंट इस स्ट्रेच में दिया गया है। इस जोन में फेज ट्रीटमेंट का प्रावधान बनाया जाना चाहिए ताकि ढलान का स्थायित्व बाधित न हो। परियोजना प्रबंधन / प्राधिकारी ने ऐसे उपायों को उस डीपीआर में शामिल करवाया है। इन्हें समग्र रूप में अपनाया जाना चाहिए।	जीवाश्म घाटी के उपचार का कार्य पूरा हो चुका है।
ii	बांध परिसर, शीलागढ़ परिसर तथा पावर हाउस परिसर में कुल 80.75 कि.मी. रोड़ नेटवर्क का निर्माण कार्य किया जाएगा। सामान्यत: सड़क निर्माण के कार्य करते समय सावधानी रखनी चाहिये और विशेषकर शीलागढ़ एवं जीवा नाला क्षेत्र में,क्योंकि ये वन क्षेत्र में आते हैं।	सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका हैं और इनका रखरखाव किया जा रहा है। वन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के दौरान उचित सावधानी बरती जाती है।
iii	परियोजना प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रतिवेदन रिपोर्ट में पार्बती तथा इसके निकटतम अन्य घाटियों के लोगों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक उत्थान योजना का सुझाव दिया गया है। इस योजना का अनुपालना किया जाना चाहिए।	आर्थिक पुनर्वास योजना हेतु ₹131.69 लाख के आवंटित बजट में से आर्थिक पुनर्वास योजना, विकासात्मक गतिविधियों के लिए ₹ 106.56 लाख का व्यय किया गया है' जिसका विवरण इस प्रकार हैं: i) परियोजना प्रभावितों के लिए बुनाई प्रशिक्षण हेतु ₹ 42.80 लाख जीएम, डीआईसी, जिला कुल्लू(हि.प्र.), को जारी किए गए। अब तक 281 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ii) परियोजना प्रभावित लोगों के कृषि प्रशिक्षण हेतु डॉ.वाई.एस.परमार बागवानी विश्वविद्यालय, बाजौरा, जिला कुल्लू को ₹ 4.66 लाख जारी किए गए । iii) कुल्लू जिला पशुपालन विभाग को पहले वर्ष के लिए पशु चिकित्सा दवाओं की खरीद हेतु ₹ 2.40 लाख जारी किए गए। iv) जीएम, डीआईसी, कुल्लू, जिला कुल्लू (एचपी) को परियोजना प्रभावितों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण हेतु ₹12.65 लाख जारी किए गए। कुल 64 उम्मीदवारों ने आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त किया। v) दो पशु औषधालय के निर्माण पर ₹ 9.64 लाख रुपये खर्च किए गए।

		vi) 10000 अनार के पौधों के वितरण तथा ग्राम पंचायत रैला के परियोजना प्रभावितों (पीएपी) के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹ 2.64 लाख खर्च किए गए। vii) "खेती व वितरण" पर एक दिवसीय कार्यक्रम/फील्ड एवं औषधीय पौधे वितरित करने के लिए मनिहार, ग्राम पंचायत परली में ₹ 27,700/- खर्च किए गए। viii) ग्राम पंचायत रैला और ढोगी के परियोजना प्रभावितों (पीएपी) हेतु अनार के पौधों की खेती से संबन्धित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 15,000 अनार के पौधे वितरण करने के लिए लिए ₹ 3,44,400/- खर्च किए गए। ix) ग्राम पंचायत गडसा क्षेत्र के परियोजना प्रभावितों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन" हेतु ₹ 21,950/- खर्च किए गए। x) ग्राम पंचायत रैला के परियोजना प्रभावितों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन" हेतु ₹ 17,200/- खर्च किए गए। xi) दिनांक 18.01.2019 को ग्राम-पंचायत-गरसा के परियोजना प्रभावितों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "अनार की खेती" हेतु ₹1,05,232/- खर्च किए गए। xii) दिनांक 29.01.2020 को ग्राम नीनू ग्राम पंचायत ज्येष्ठ में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "अनार वृक्षारोपण और वैज्ञानिक पशु प्रबंधन" के आयोजन हेतु ₹ 73,453/- खर्च किए गए। xiii) परली ग्राम पंचायत में दिनांक 24.02.2021 और ग्राम शिल्हा में दिनांक 02.03.2021 को सेब वृक्षारोपण एवं मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु ₹ 1,15,368/- खर्च किए गए। xiv) दिनांक 17.03.2021 को पर्लि पंचायत के अंतर्गत मनिहार ग्राम के ग्रामीणों के बीच ₹18750/- मूल्य के 250 नग सेब के पौधे का वितरण किया गया। xv) दिनांक 22.02.2022 को ग्राम मनिहार, परली ग्राम पंचायत एवं बरशैणी ग्राम पंचायत के ग्राम शिल्हा में दिनांक 16.03.2022 को सेब रोपण एवं पशु वैज्ञानिक प्रबंधन पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रु. 1,81,837/- खर्च किए गए। xvi) ग्राम मनिहार, ग्राम पंचायत परली में दिनांक 17.01.2023 को और ग्राम रैला, ग्राम पंचायत रैला में दिनांक 24.01.2023 को तथा ग्राम शिल्हा, ग्राम पंचायत बरशैणी में दिनांक 28.02.2023 को सेब वृक्षारोपण एवं मवेशियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई,

		जिसमें रु. 2,71,221/- खर्च किए गए। xvii) सैंज, गरशा और मणिकरण इलाकों के 60 परियोजना प्रभावित लोगों के लिए बुनाई ट्रेनिंग करवाने के लिए 02.09.2025 को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर (DIC), कुल्लू को पहली किस्त के तौर पर 20.00 लाख रुपये की रकम जारी की गई है। यह रिलीज़ DIC, कुल्लू से मिले 40.00 लाख रुपये के कुल मंज़ूर अनुमान के हिसाब से है। बाकी फंड जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। **कुल व्यय: 106,56,111.00 रुपये**
iv	शीलागढ़ तथा पंचा नाला के बीच एवं शीलागढ़ व मनिहार नालाओं के बीच का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र गहन चिंता का मुद्दा हैं। प्रस्तावित रोड निर्माण गतिविधियां एवं इन दोनों कार्यस्थलों पर खाई बांध निश्चित रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को अस्तव्यस्त व प्रभावित कर देंगे। इस पारिस्थितिक तंत्र में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए हमें पर्यावरण प्रबंधन योजना (पृष्ठ 19-20) में प्रस्तावित उपायों का पालन करना चाहिए। **इएमपी के पृष्ठ सं.19-20 में दर्शाए गए उपाय:**	
	(i)मजदुरों की जन-संख्या को न्यूनतम रखा जाएगा ताकि कार्य क्षेत्र को भीड़-भाड़ से बचाया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उच्च जैव विविधता है और वहाँ जानवर और पक्षी निवास करते हैं।	(i)मजदुरों की जनसंख्या को न्यूनतम रखा जा रहा है ताकि कार्य क्षेत्र को भीड़-भाड़ से बचाया जा सके।
	(ii)मजदूरों को जानवरों और पौधों की महत्वपूर्ण प्रजातियों की महता को रेखांकित करने एवं उनको नुकसान पहुंचाने के परिणामों से अवगत कराने हेतु एक दिन की अभिविन्यास कार्यक्रम का प्रशिक्षण मुहैया करवाया जाएगा। कार्यशाला में स्पष्ट रूप से उनके लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया जाये यदि वे उपरोक्त की अवमानना करते हैं।	(ii)मजदूरों को नियमित रूप से दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं।
	(iii) मजदुर इन दुर्लभ/लुप्तप्राय जानवरों/ प्रजातियों की कटाई और अवैध शिकार में लिप्त नहीं हों, इस बात की सख्त निगरानी की जानी चाहिये।	(iii)मजदूरों के आवागमन की न केवल एनएचपीसी कार्मिकों द्वारा बल्कि वन विभाग द्वारा भी सख्ती से निगरानी की जा रही है।
	(iv) मजदूरों के वन क्षेत्र में प्रवेश को निषेधात्मक बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए की किसी भी हालात में वे वन क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न न कर सकें। दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लगाने और श्रम सेवाओं की समाप्ति के आवश्यक प्रावधान लागू किए जाएंगे।	(iv)प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है ।

	(v) शीलागढ़ में अस्थाई मजदूर कॉलोनी स्थापित की जाएगी परंतु उसके उपरांत शीलागढ़ से पंचानाला के बीच कोई भी ऐसी कॉलोनी स्थापित नहीं करने दी जाएगी। (vi) मजदूरों को खाना बनाने में प्रयुक्त लकड़ी और चारे की तलाश में जंगल में न जाने देने के लिए, उनको इस प्रयोजन हेतु स्थापित मिट्टी के तेल एवं जलाने की लकड़ी की खरीद हेतु छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। vii. स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रोड के आस-पास किओस्क, दुकान या ऐसा कोई ज्वाइंट/स्टॉल जो भीड़ को आकर्षित करे, को खोलने पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा । परियोजना के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक इन पूर्वकालीन वासों में किसी गतिविधि का सवाल है, ये पूर्वकालीन प्राकृतिक वास सामान्य जनता की पहुँच से दूर रहने चाहिए। viii. जियो-तकनीकी संभाव्यता की स्थिति में, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां भी संभव है रोड़ के निर्माण से बचा जा सके और उनके स्थान पर छोटी दूरी के टनल बनाए जाएं। इस प्रकार बहुत सी अशांति एवं क्षरण से बचा जा सकेगा।	(v)वन-क्षेत्र में कोई लेबर कैंप नहीं है। (vi) ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मुफ्त ईंधन प्रदान करने का प्रावधान अनुबंध समझोते की शर्तों में सम्मिलित है। मजदूरों को रहना और खाना ठेकेदार द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है ताकि जलावन के लिए लकड़ी-ईंधन पर कोई अनावश्यक दवाब न पड़े। प्रमुख ठेकेदारों द्वारा मुफ्त ईंधन प्रावधान के तहत किए गए खर्च का ब्योरा **अनुलग्नक-II (ए)** के रूप में संलग्न है। (vii)प्रत्यावर्तित वन भूमि में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई है। (viii) इसको संज्ञान में लिया गया है ।
v	निर्माण के दौरान शोर को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए तथा शीलागढ़, हुरला एवं मनिहार नालों में जहां पर घना जंगल है तथा जहां आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक पशु एवं पक्षी निवास करते हैं, में रात को कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए।	यह शर्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. जे-12011/34/2001-आईए-I दिनांक 21/03/2002 के तहत नीचे उल्लिखित सीमा तक संशोधित की गई है। *"शीलागढ़, हुरला एवं मनिहार नालों में जहां पर घना जंगल है और जहां आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक पशु एवं पक्षी निवास करते हैं, में रात को कोई ब्लास्टिंग गतिविधि नहीं होनी चाहिए।"* खुले स्थान पर रात के समय में कोई विस्फोट गतिविधि नहीं की जा रही है। साइट प्रभारी द्वारा भूमिगत कार्यों के लिए भी ब्लास्टिंग गतिविधि संचालन के कार्यान्वयन में सावधानी बरती जा रही है।
vi	पार्बती घाटी में कलगा गाँव के आगे कोई स्थायी मानव बस्ती के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी	परियोजना क्षेत्र से आगे किसी भी स्थायी मानव बस्ती के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है।

	चाहिए क्योंकि हिमालयन काले भालू प्राय: इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। इसी तरह शीलागढ़, मनिहार ग्रामों एवं पँचा नाला क्षेत्र के आगे किसी भी मानव गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	
vii	पार्वती घाटी में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण एवं बचाव के लिए ईएमपी में (पृष्ठ 12-16) पर दर्शाए गए प्रस्ताव के तहत एक संरक्षण सेल की स्थापना की जानी चाहिए।	वन विभाग द्वारा डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा तैयार परियोजना-I जिसका शीर्षक है "महान हिमालयी संरक्षण परिदृश्य में जैव विविधता संरक्षण के लिए सतत आजीविका आधारित दृष्टिकोण" जिसकी लागत 1741.40 लाख रुपये है, प्रस्तुत की गई है। इसमें पार्वती घाटी संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना का भी प्रावधान है। इस मद में अब तक 1617.00 लाख रुपए का भुगतान जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जीएचएनपी से कुल 14.20 करोड़ रुपए के उपयोग का प्रमाण प्राप्त हुआ है और शेष 1,96,31,072 रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाने की संभावना है। वन विभाग ने "हिमाचल प्रदेश में लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण" शीर्षक से एक अन्य परियोजना (परियोजना-II) प्रस्तुत की है, जिसमें 20 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत शामिल है। इस मद के अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं पर्यावास सुधार के लिए वन संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान, शमशी, जिला कुल्लू को 20 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण राशि जारी कर दी गई है। अब तक 20.00 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है। पार्वती घाटी संरक्षण प्रकोष्ठ (पीवीसीसी) का गठन जीएचएनपी अधिकारियों द्वारा उनके पत्र संख्या दिनांक 06/12/2017 के माध्यम से किया गया है। डीएफओ, जीएचएनपी को पीवीसीसी की बैठक बुलाने और परियोजना I की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 08.04.2019, 21.05.2019 और 26.07.2019 के पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया है। डीएफओ, जीएचएनपी को दिनांक 22.07.2020 और 10.04.2021 के पत्र के माध्यम से पीवीसीसी की बैठक बुलाने और परियोजना- I के चल रहे कार्यों पर एक रिपोर्ट और भू-निर्देशांक के साथ परियोजना II के तहत किए गए कार्यों की एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। डीएफओ, जीएचएनपी को दिनांक 18.10.2022 के पत्र के माध्यम से पीवीसीसी शासी (प्रबंध) निकाय की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है।

		दिनांक 26.09.2023 को आयोजित 18वीं ईएमसी बैठक के दौरान एसीएफ, जीएचएनपी से अनुरोध किया गया है कि वे पीवीसीसी की बैठक जल्द से जल्द बुलाएं क्योंकि यह मामला काफी समय से चल रहा है। उन्होंने बहुत जल्द बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। डीएफओ, जीएचएनपी को दिनांक 28.03.2024 और 17.12.2024 के पत्रों के माध्यम से बैठक बुलाने और परियोजना-I के चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और परियोजना II के तहत किए गए कार्यों की एक व्यापक रिपोर्ट भू-निर्देशांक के साथ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। डीएफओ, जीएचएनपी को दिनांक 26.04.2025 एवं 27.01.2026 के पत्र द्वारा पीवीसीसी की बैठक बुलाने और शेष कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का अनुरोध किया गया है। जीएचएनपी के डायरेक्टर और डीएफ़ओ जीएचएनपी से दिनांक 28.04.2026 के पत्र के ज़रिए अनुरोध किया गया है कि वे पीवीसीसी की बैठक बुलाएँ और 20वीं ईएमसी बैठक में हुई चर्चा के अनुसार तय समय-सीमा के भीतर शेष कार्य को सम्पन्न कराएं।
viii	पुलगा, कलगा, तुलगा एवं झूनी ग्रामों हेतु आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत फल एवं गैर फल फसलों के लिए इंटर क्रॉपिंग सिस्टम को माना जा सकता है।	आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत परियोजना द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विवरण मद सं. (iii) पर ऊपर दिया गया है।
ix	परियोजना के डीग्रेडेड/ऊसर जलग्रहण क्षेत्र का इस परियोजना के शुरू होने से 8 वर्षों के भीतर ₹ 2569.22 लाख की राशि की लागत से उपचार करना होगा। 800 आरएमटीएस के अलावा इसके लिए 980 हैक्टेयर भूमि का जैविक उपायों द्वारा तथा 2700 हैक्टेयर भूमि का अभियांत्रिकी उपायों द्वारा उपचार प्रस्तावित है। इसके उपचार के लिए डाइवर्सन ड्रेन, रेटेनिंग वाल तथा 600 वेजिटेटिव स्पर्स भी बनाए जाएंगे।	जलग्रहण क्षेत्र उपचार (केट) योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग को कुल ₹ 2669.26 लाख जारी किया गया तथा अतिरिक्त कैट योजना के तहत उपकरण मुहैया करवाए गए हैं। कैट कार्यों के लिए जमा की गई कुल धनराशि में से, राज्य वन विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 तक अब तक 1726.64 लाख रुपये की राशि के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पत्र दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से डीएफओ, पार्वती वन प्रभाग से शेष केट कार्यों को पूर्ण करने और सभी वन संभागों द्वारा किए गए व्यय का संकलन के उपरांत भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। साथ ही सीए (CA) क्षेत्र के जियोटैग्ड मानचित्र प्रस्तुत करने और पर्यावरण मंजूरी पत्र के अनुसार शेष कार्यों को पूरा करने का भी अनुरोध किया गया था।

		साथ ही, डीएफओ, पार्वती वन विभाग से पत्र दिनांक 28.08.2020 के माध्यम से परियोजना के संचालन चरण से पूर्व केट योजना का कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया था । पत्र दिनांक 09.04.2021 और 15.06.2021 के माध्यम से शेष केट कार्यों को पूर्ण करने और भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध भी किया गया था । इसके अलावा, डीएफओ, पार्वती वन विभाग को पत्र दिनांक 08.09.2021 और 08.04.2024 के माध्यम से जिगराई नाला में सुरक्षा कार्य और दिनांक 24.06.2021 और 26.09.2023 को परियोजना में ईएमसी बैठक के अनुसार शेष केट कार्यों को पूर्ण करने का अनुरोध भी किया गया। सम्बंधित विषय पर विभिन्न अवसरों में डीएफओ, पार्वती वन प्रभाग, शमशी के साथ विस्तार से चर्चा की गई है और उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसे लागू करने के लिए परियोजना का आश्वासन दिया है। पीसीसीएफ (एचओएफएफ), शिमला, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को पत्र दिनांक 26.09.2022, 22.12.2023, 16.04.2024, 25.11.2024 और 17.12.2024 के माध्यम से परियोजना पूर्ण होने से पहले जलग्रहण क्षेत्र उपचार (केट) योजना को कार्यान्वित करने हेतु अनुरोध किया गया है। PCCF (HoFF), शिमला, GoHP से दिनांक 08.07.2025 एवं 27.01.2026 के पत्र द्वारा जल्द से जल्द पूरे CAT प्लान को लागू करने का अनुरोध किया गया है। DFO, पार्वती फॉरेस्ट डिवीजन से दिनांक 17.12.2024 और 30.07.2025 के लेटर के ज़रिए प्रोजेक्ट के कैचमेंट एरिया में CAT प्लान को लागू करने और CAT प्लान को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में विस्तार से अनुरोध किया गया है। पार्वती वन विभाग के डीएफ़ओ से दिनांक 10.02.2026 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे 20वीं EMC बैठक में चर्चा किए गए CAT प्लान के शेष कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने का प्रयास करें।
भाग-ख : सामान्य शर्तें		
i	निर्माण के कार्यों में लगे मजदूरों को परियोजना के खर्चे पर पर्याप्त मुफ्त ईंधन उपलब्ध कराया जाए ताकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से बचा जा सके। मजदूरों को ईंधन मुहैया करवाने के लिए परियोजना स्थल पर ईंधन का डिपो खोला जाना चाहिए।	ये सुविधाएं ठेकेदारों द्वारा अनुबंध समझौते के अनुसार प्रदान की जा रही हैं। उपलब्ध कराए गए मुफ्त ईंधन और उस पर व्यय की गई राशि का उल्लेख **अनुलग्रक II (ए)** में दिया गया है।
ii	मजदूरों को चिकित्सा एवं मनोरंजन की सुविधाएं	परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को ये

	मुहैया करवाई जानी चाहिए। निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए तथा उनको कार्य अनुमति (वर्क परमिट) देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से इलाज करवाया जाना चाहिए।	सुविधाएं एनएचपीसी तथा प्रमुख ठेकेदारों द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। अनुलग्नक-**II (बी) तथा II (सी)** के रूप में विवरण संलग्न है।
iii.	निर्माण क्षेत्र एवं डम्पिंग साइटों का पुनरुद्धार समतलीकरण, गढ़ढों को भरना तथा भूसुदर्शनीकरण आदि के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तथा उस क्षेत्र में सही ढंग से पेड़ लगाकर वनीकरण की जानी चाहिए।	परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य सितंबर 2002 में शुरू किया गया था और दिनांक 01.04.2025 को 3 इकाइयों का वाणिज्यिक संचालन और दिनांक 16.04.2025 को चौथी इकाई का वाणिज्यिक संचालन वास्तविक रूप में घोषित किया गया है। जो डम्पिंग साइट्स भर चुके है उसके ढलान का स्थिरीकरण मध्यवर्ती गेबियन प्रदान करके किया गया है। तत्पश्चात, सीएसआईआर के एक संस्थान "हिमालयन बाईरिसोर्स तकनीकी संस्थान, पालमपुर" (हिमाचल प्रदेश) के सहयोग से 11 बंद डम्पिंग साइटों पर आवश्यक वनीकरण एवं पुनर्वास उपाय किए गए हैं। उक्त पुनःस्थापित 11 डम्पिंग साइटों में से 06 डम्पिंग साइटों(वन भूमि) को वन विभाग को वापिस सौंप दिया गया है। डीएस-15 के जीर्णोद्धार का कार्य दिनांक 01.10.2019 के पत्र के माध्यम से ₹ 50,11,699.00 लाख रुपये की कुल लागत के साथ राज्य वन विभाग (डीएफओ, पार्बती वन विभाग, शमशी) को सौंपा गया है। जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है और परियोजना से प्रथम व द्वितीय किस्त के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) डीएफओ द्वारा जमा कर दिया गया है। तीसरी किस्त का भुगतान दिनांक 09.04.2021 को डीएफओ, पार्वती वन विभाग को कर दिया गया है। डीएफओ द्वारा दिनांक 10.01.2025 को तीसरी किस्त के तहत ₹18,51,100.00 लाख रुपये का उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा कर दिया गया है और शेष ₹1,53,579.00 लाख रुपये अगले 3 वित्तीय वर्षों में रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे। डीएस-15 का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। जिन डंपिंग स्थलों का पहले पुनर्वास/पुनर्स्थापन किया जा चुका था, वे हाल की प्राकृतिक आपदा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुल्लू और राज्य वन विभाग के अनुरोधों के जवाब में, और दिनांक 08.10.2024 को सम्पन्न ईएमसी बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के अनुरूप, परियोजना द्वारा औपचारिक रूप से नामित क्षतिग्रस्त स्थलों के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण कार्य का ठेका (अवार्ड) दे दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

iv.	बांध के बहाव क्षेत्र (डाउनस्ट्रीम) में, बाढ़ क्षेत्रीकरण दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। बाढ़ आशंकित क्षेत्र में किसी भी बस्ती को बसाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	नदी/नाला बहाव क्षेत्र में बस्ती को बसाने की अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन एवं वन विभाग भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इस संदर्भ में उपायुक्त, कुल्लू को पत्र सं .एनएच/पीएचईपी-II/जीएम/06/3620-21 दिनांक 17/10/2006 के माध्यम से लोगों की स्थायी बस्ती पुलगा-डेम के बहाव (डाउनस्ट्रीम) क्षेत्र में बसने नहीं देने हेतु पत्र लिखा गया है । पार्वती नदी और मुख्य नालों के तट पर सावधानी सूचक बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं।
v.	मंत्रालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को पुनरीक्षण हेतु अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय शिमला को नियमित रूप से अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजे जा रहे हैं। पिछला रिपोर्ट (सितंबर 2024) दिनांक 25.11.2025 के पत्र द्वारा आईआरओ, शिमला, एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की गई थी।
4	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग, सुविधाएं और सम्पूर्ण दस्तावेज /डाटा मुहैया करवाए जाने चाहिए।	क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहता है । परियोजना में दिनांक 19.11.2025 एवं 20.11.2025 को पर्यावरण निगरानी समिति की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
5	पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है।	पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है।
6	परियोजना के दायरे में परिवर्तन के मामले में, परियोजना को नए मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।	परियोजना के दायरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अनुलग्नक-II (ए)

<u>मुफ्त ईंधन प्रावधान के अंतर्गत प्रमुख ठेकेदारों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा</u>
(अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक)

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	लगाए गए मजदूर	मुफ्त ईंधन प्रावधान के अंतर्गत व्यय (रुपयों में)
1	मैसर्स गैमन सीएमसी संयुक्त उद्यम (एचआरटी)	27	96,938.00
2	मैसर्स गैमन इंजी. व कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड (एडिट-I शिलाह)	02	शून्य

<u>अनुलग्नक-II बी</u>

पार्बती जलविद्युत परियोजना चरण-II में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा
(अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक)

1. डिस्पेंसरीज़**:** नगवाईं, गडसा, सैन्ज तथा मणिकर्ण में डिस्पेंसरीज़ है ।

2. चिकित्सा तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ का विवरण:

i) महाप्रबंधक (चिकित्सा सेवाएं) - 01
ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी - 01
iii) चिकित्सा अधिकारी – 01
iv) वरिष्ठ सुपरवाइजर (हॉस्पिटल) - 01
v) सुपरवाइजर (ड्रेसर)- 01

3. अन्य उपलब्ध सुविधाएं: यूजीसी मशीन, इसीजी, नेबूलाईजर, एईडी, डिफ़ाइब्रिलेटर के साथ कार्डियक मॉनिटर, बीएमआई मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एस/इ मशीन, प्रत्येक स्थान पर एक ऑक्सीजन सांद्रक।

4. अंबुलेन्स (रोगी वाहन): चालकों सहित अंबुलेन्स नगवाईं, मणिकरण तथा सैन्ज डिस्पेंसरी में उपलब्ध कराई गई हैं।

5. स्थानीय नागरिकों को मुहैया करवाई गई चिकित्सा सुविधाएं **:-**
परियोजना की डिस्पेंसरीज़ में स्थानीय नागरिकों को चिकित्सीय परामर्श सहित दवाएं भी मुहैया करवाईं जाती हैं। उपचार से संबंधित माहवार ब्योरा निम्नलिखित है ।

महीना	नागवाईं	सेंज	गरसा	मनिकर्ण	कुल
अक्टूबर 2025	56	77	10	12	155
नवम्बर 2025	50	85	7	5	147
दिसंबर 2025	35	62	15	10	122
जनवरी 2026	37	57	13	13	120
फरवरी 2026	53	69	17	6	145
मार्च 2026	38	75	15	19	147
कुल					**836**

6. मणिकरण में महिला कर्मचारियों के लिए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' विषय पर जागरूकता शिविर दिनांक 07.10.2025 को आयोजित किया गया। दिनांक 06.12.2025 को नगवैन अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। साथ ही, दिनांक 06.12.2025 को चारू फाउंडेशन, सरवरी, कुल्लू में और दिनांक 28.03.2026 को बरशैनी में मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

8. जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन आउटसोर्स एजेंसी एनवायरो-इंजीनियर्स, शिमला के माध्यम से किया जाता है।

अनुलग्नक-II (सी)

मुख्य ठेकेदारों द्वारा अपने मजदूरों हेतु मुहैया करवाई जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं (पार्बती-II) :
(अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक)

ए) **मैसर्स गैमन सीएमसी सयुंक्त उद्यम (शीलगढ़)** : निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

i) डिस्पैंसरी : 01 (ठेला)
ii) अंबुलेंस: 01 (ठेला)
iii) सम्पूर्ण फ़र्स्ट ऐड किट (ठेला)
iv) ऑक्सिजन सिलेंडर – 03 (ठेला)

बी) **मैसर्स गैमन इंजी. व प्रा. लिमिटेड (शिलाह) -** निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

i) पीएचसी डिस्पैंसरी : 01 (मणिकरण)

****

नोट: यह रिपोर्ट एमओईफ व सीसी को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट को देखें ।